न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2016/00021

1. सूरज कुंवर विधवा श्री मुकुट बिहारी महाजन स्थायी निवासी बमोरी तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. मुरलीधर पुत्र श्री मुकुट बिहारी महाजन स्थायी निवासी बमोरी तहसील दीगोद जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. उमराव सिंह आत्मज श्री गुलाब सिंह राजपूत ।
2. श्री किशन सिंह आत्मज श्री गुलाब सिंह राजपूत ।
3. श्रीमती इन्द्र कंवर विधवा श्री हिम्मत सिंह राजपूत ।
4. महीराज सिंह आत्मज श्री हिम्मत सिंह राजपूत निवासीगण बमोरी तहसील दीगोद जिला कोटा ।
5. श्रीमती मिथलेश कुमारी पत्नी सत्यनारायण महाजन ब्रह्माणी का चौक सांगोद ।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री धीरेन्द्र मालव, श्री जगदीश नन्दवाना, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से
2. श्री उत्तम चन्द खण्डेलवाल, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 से 4 की ओर से
3. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट कम 06 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 17.03.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.05.2016 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम बम्बोरी तहसील दीगोद जिला कोटा में सेटलमेंट से पूर्व खसरा नम्बर मिन 360 की 72 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि में वादीगण कम 1 व 2 का 1/2 हिस्सा तथा वादी कम 3 लगायत 5 के पति व पिता का 1/2 हिस्सा है । उक्त भूमि पर केचमेंट विभाग द्वारा भू सुधार कार्य किया गया तथा भू सुधार कार्य के बाद कटोती करके

नये नम्बर कायम किये गये । तत्पश्चात् सेटलमेंट कार्य हुआ और बाद सेटलमेंट उक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 852 रकबा 9.27 हैक्टर, खसरा नम्बर 870 रकबा 1.02 हैक्टर कायम किये गये । उक्त भूमि पूर्व से मुकुट बिहारी पुत्र गोपीलाल महाजन के क्रय कर लेने के कारण नामान्तरकरण संख्या 195 से उक्त भूमि वादीगण क्रम 1 व 2 तथा हिम्मत सिंह के खाते में दर्ज कर दी गई । मुकुट बिहारी के विरूद्ध सींलिग कार्यवाही की गई तथा प्राधिकृत अधिकारी सीलिंग कोटा द्वारा दिनांक 20.05.1975 को आदेश प्रदान करते हुए मुकुट बिहारी की 22.70 एकड भूमि अधिग्रहण करने का आदेश दिया जिस पर मुकुट बिहारी ने वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 360 की भूमि अधिग्रहण करने हेतु विकल्प में दी है किन्तु तहसीलदार दीगोद ने दिनांक 19.12.1995 को उक्त भूमि वादीगण के खाते की होने तथा भारयुक्त होने से अधिग्रहण नहीं करने तथा उसके स्थान पर खसरा नम्बर 340 व 341 की भूमि अधिग्रहण करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी सीलिंग कोटा को लिखा गया जिसे स्वीकार करते हुए खसरा नम्बर 340 व 341 की भूमि अधिग्रहण कर ली गई । प्राधिकृत अधिकारी सीलिंग कोटा के मूल आदेश दिनांक 20.10.1975 के विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटा के न्यायालय में दोनों पक्षों द्वारा अपील प्रस्तुत तथा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटा ने मुकुट बिहारी की अपील दिनांक 21.04.1976 को निररस्त कर दी तथा वादीगण की अपील दिनांक 05.01.1976 को स्वीकार कर इस निर्देश के साथ रिमाण्ड कर दी । रिमाण्ड के बाद प्राधिकृत अधिकारी सीलिंग कोटा ने दिनांक 20.05.1976 को आदेश प्रदान किया कि वादग्रस्त आराजी वादीगण के खाते की भूमि नहीं है । इस कारण वादग्रस्त आराजी को अधिग्रहण किया जावे तथा तहसीलदार द्वारा जो पूर्व में भूमि अधिग्रहण की गई है उसे वापस दे दी जावे । उक्त आदेश के खिलाफ वादीगण ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटा में अपील प्रस्तुत की जिसे उन्होंने अपने आदेश दिनांक 15.07.1976 के द्वारा खारिज कर दिया । उक्त आदेश के खिलाफ वादीगण ने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल में अपील प्रस्तुत की गई जिसमें उन्होंने दिनांक 20.06.1978 को वादीगण की अपील को स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजी को काबिल अधिग्रहण नहीं माना और दिनांक 19.12.1975 को दिये गये आदेश तथा उसकी अनुपालना में तहसीलदार दीगोद द्वारा खसरा नम्बर 340 व 341 की भूमि का अधिग्रहण उचित माना । माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध मुकुट बिहारी की बेवा सूरज कंवर ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में रिट याचिका प्रस्तुत की जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 08.12.1988 को उक्त रिट याचिका को निरस्त करते हुए माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल के आदेश को बहाल रखा । रिट याचिका के विचाराधीन रहते हुए वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 360 की भूमि जरिये नामान्तरकरण 653 दिनांक 01.02.1982 से अधिग्रहण कर सिवायचक कर दी । न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटा के आदेश दिनांक 31.12.1984 से उक्त भूमि सिवायचक से हटाकर वादीगण के खाते में दर्ज करने का आदेश पारित किया जिसका नोट जमाबन्दी में लगाया गया । इसके बाद भी त्रुटिपूर्ण तरीके से खसरा नम्बर 360 की 09 बीघा भूमि उपखण्ड अधिकारी कोटा के आदेश दिनांक 24.01.1986 से अधिग्रहण कर ली गई तथा जमाबन्दी में नोट लगा दिया गया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है । बाद सेटलमेंट उक्त भूमि को सिवायचक दर्ज कर दिया । सिवायचक दर्ज किये जाने के कारण तहसीलदार द्वारा वादीगण को धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम के तहत नोटिस जारी कर उक्त भूमि से बेदखल करने पर आमादा हैं ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती कर उसे वादीगण के खाते में दर्ज किया जावे ।

प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा पारित की जावे कि वादीगण को वादग्रस्त आराजी से बेदखल नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. सरकार की ओर से जरिये तहसीलदार, दीगोद जवाबदावा प्रस्तुत किया गया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 06.05.2016 के द्वारा वाद वादीगण स्वीकार करते हुए डिक्री कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.05.2016 से व्यथित होकर अपीलान्टगण ने न्यायालय हाजा में धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्टगण को पक्षकार बनाये बिना तथा सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलान्टगण की खातेदारी की भूमि के सम्बन्ध में निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । सीलिंग कार्यवाही में भूमि अधिग्रहण करने तथा सीलिंग कार्यवाहियों में दिये गये निर्णयों की पालना में कराने का था जबकि सीलिंग कार्यवाही के सम्बन्ध में सीलिंग की पत्रावली में ही निर्णय दिया जा सकता है । काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय को सुनवाई का अवसर नहीं दिया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.05.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थीगण अपीलान्ट अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से प्रभावित पक्षकार है और वे प्रस्तुत प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार हैं । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है । अपीलान्टगण वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक हैं जिन्हें न्यायहित में अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किया जाना आवश्यक है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण अपीलान्ट को प्रस्तुत प्रकरण में अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

8. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एंव उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अपीलान्टगण ने वादग्रस्त आराजी का स्वयं को खातेदार होना कथन किया है तथा प्रस्तुत प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार होने का कथन किया है । अतः न्यायहित में प्रार्थीगण अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलान्टगण को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

9. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

10. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि ग्राम बम्बोरी तहसील दीगोद जिला कोटा में स्थित वादग्रस्त आराजी प्रारम्भ में अपीलान्टगण के खातेदारी की थी जिसमें अपीलान्टगण को पक्षकार बनाये बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना, अपीलान्टगण को सूचित किये बिना उनके खाते की भूमि

के बारे में निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । सीलिंग की कार्यवाही के बाबत् सीलिंग की पत्रावली में ही निर्णय पारित किया जा सकता है । टिनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत पेश किये गये दावे में सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना जो निर्णय पारित किया गया है वह शून्य है । सीलिंग की पत्रावली रिमाण्ड होने के बाद उसमें निर्णय पारित नहीं हुआ है । रेस्पोडेन्ट का दावा सेटलमेंट में हुई त्रुटि को ही दुरूस्त करने के बाबत् था । यदि सेटलमेंट के द्वारा रेस्पोडेन्ट वादी के खाते में दर्ज आराजी को सिवायचक घोषित किया है तो ऐसी स्थिति में वो आराजी रेस्पोडेन्ट वादीगण के खाते में दर्ज किये जाने में अपीलान्ट को कोई आपत्ति नहीं है और जो सीलिंग की पत्रावली लम्बित है उसमें सीलिंग के बाबत् निर्णय पारित किया जा सकता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.05.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

11. रेस्पोडेन्ट क्रम 1 लगायत 4 के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट के द्वारा वादग्रस्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की थी आराजी साबिक खसरा नम्बर 360 पर भू सुधार का कार्य हुआ और इसके नये खसरा नम्बर 1450 रकबा 06 बीघा 05 बिस्वा और खसरा नम्बर 1447 रकबा 51 बीघा 07 बिस्वा कायम किये गये हैं । इसके उपरान्त सेटलमेंट ने नये खसरा नम्बर 852 रकबा 09.27 हैक्टर और खसरा नम्बर 870 रकबा 1.02 हैक्टर कायम किये गये हैं । क्रय के आधार पर साबिक खसरा नम्बर 360 की 72 बीघा 10 बिस्वा भूमि नामान्तरकरण संख्या 195 से वादीगण के खतो में दर्ज हुई थी । सीलिंग की कार्यवाही में मुकुट बिहारी ने वादी के द्वारा क्रय की गई आराजी को विकल्प में दिया गया और तहसीलदार के द्वारा वादग्रस्त आराजी के भारयुक्त होने की रिपोर्ट करने पर खसरा नम्बर 340 और 341 की भूमि अधिग्रहण के निर्देश दिये गये । प्राधिकृत अधिकारी के आदेश दिनांक 20.10.1975 के खिलाफ अतिरिक्त जिला कलक्टर सीलिंग के यहॉ अपील की गई और वादी की अपील पर प्रकरण दिनांक 05.01.1976 को रिमाण्ड किया गया । दिनांक 20.05.1976 को प्राधिकृत अधिकारी ने यह आदेश प्रदान किया कि वादग्रस्त आराजी वादीगण के खाते की नहीं है । प्राधिकृत अधिकारी के आदेश के खिलाफ ए0डी0एम0 कोटा में अपील पेश की गई जो निरस्त की गई । माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में ए0डी0एम0 के निर्णय के खिलाफ अपील पेश की गई और राजस्व मण्डल के द्वारा अपील स्वीकार की गई और राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 20.06.1978 के खिलाफ मुकुट बिहारी की बेवा सूरज कंवर ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत की । माननीय उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज करते हुए माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय को बहाल रखा गया है । रिट याचिका के विचाराधीन रहते हुए आराजी खसरा नम्बर 360 की आराजी अधिग्रहण करके सिवायचक दर्ज कर दी गई है और ए0डी0एम0 कोटा के आदेश दिनांक 31.12.1984 से इसे वादीगण के खाते में दर्ज करने का आदेश दिया गया इसके पश्चात् त्रुटिपूर्ण रूप से खसरा नम्बर 360 की 09 बीघा भूमि दिनांक 24.01.1986 को अधिग्रहण कर ली गई । इसी दौरान सेटलमेंट की कार्यवाही प्रारम्भ हुई और सेटलमेंट विभाग ने बिना किसी आदेश के सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी को सिवायचक दर्ज कर दिया जो असंवैधानिक है । सेटलमेंट विभाग को आराजी को सिवायचक दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं है । इस कारण अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त आराजी जो कि सेटलमेंट विभाग के द्वारा सिवायचक दर्ज की गई है उसका वादीगण को खातेदार विधिक रूप से घोषित किया है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.05.2016 बहाल रखा जावे ।

12. रेस्पोडेन्ट कम 06 की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन एवं विश्लेषण कर निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

13. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादी के दावे का प्रतिवादी सरकार की ओर से दिनांक 03.11.2012 को जवाबदावा पेश किया गया है जो कि पत्रावली के पृष्ठ संख्या 131 से 132 तक संलग्न है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीयात कायम नहीं की हैं और बिना तनकीयात कायम किये निर्णय पारित किया है जो सीपीसी के आदेश 20 नियम 05 के प्रावधानों के विपरीत है । दावे में जवाबदावा आने के उपरान्त तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय पारित किया जाना विधिक प्रावधानों के अनुसार अनिवार्य होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.05.2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्टगण को जवाबदेही का अवसर प्रदान करते हुए दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 30.04.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

15. निर्णय आज दिनांक 17.03.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

17/03/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा